कुशल युवा कार्यक्रम संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश

1. कुशल युवा कार्यक्रम 15–28 वर्ष (विशिष्ट वर्ग हेतु अधिकतम आयु में 33 वर्ष तक छूट प्रदान की गई है) के युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिये बिहार सरकार के सात निश्चय के अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन की एक अनुठी पहल है।

2. केन्द्र का संचालन समय–समय पर जारी बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है, जिसमें विद्यार्थियों का प्रतिदिन 4 घंटे का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है।

3. कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनियादी कम्प्यूटर संबंधी कौशल (120 घंटे), भाषा एवं संवाद कौशल (80 घंटे) तथा व्यवहार कौशल (40 घंटे) में कुल 240 घंटे का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

4. केन्द्रों द्वारा ज्यादा से ज्यादा योग्य अभ्यर्थियों तक योजना को पहुंचाने हेतु मोबिलाईजेशन का बेहतर प्रयास किया जाना है।

5. प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये योग्य एवं निपुण प्रशिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करनी है एवं समय समय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाना सुनिश्चित करना है।

6. केन्द्रों द्वारा सभी स्टाफ को ससमय एवं न्यूनतम वेतन के हिसाब से पारिश्रमिक देना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मूल्यांकन एवं दैनिक प्रशिक्षण कार्य में सामान्य आचार संहिता (General Code of Conduct) का अनुपालन किया जाना एवं कदाचारमुक्त मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

8. केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की ट्रेकिंग एवं उनके नियोजन हेतु हर संभव प्रयास किया जायेगा।

9. बिहार कौशल विकास मिशन एवं योजना से संबंधित सुलभ संगणक (Ready Reckoner) मिशन के वेबसाईट www.skillmissionbihar.org पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका संदर्भ योजना के विभिन्न आयामों को समझने हेतु लिया जा सकता है।

10. मिशन के पदाधिकारियों एवं योजना से संबंधित अधिकारियों की विवरणी बीएसडीएम वेबसाईट पर उपलब्ध है। सभी प्रशिक्षणार्थियों एवं अन्य साझेदारों से ये अपेक्षा है कि वे योजनाओं/प्रशिक्षण सामग्री/प्रशिक्षण केन्द्रों एवं योजना के किसी अन्य पहलू पर अपना सुझाव/मंतव्य देने हेतु मिशन के संबंधित अधिकारी से आवश्यकतानुसार संपर्क कर सकते हैं।

बिहार कौशल विकास मिशन